

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल (म0प्र0)

कमांक 44 अ-82/16-17 भू-अर्जन/594/बैतूल दिनांक 14-05-2018
ईशतहार

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग म0प्र0शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल की ओर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुलताई द्वारा हरदौली बांध के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम हरदौली प0ह0न0 52 तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं :-

| अ0क0 | खसरा नम्बर | रकबा हे0 में | आवेदक द्वारा कय जाने वाला हे0 में | विभाग कय किया रकबा | धारक का नाम |
|------|------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | 34/1 | 0.769 | 0.769 | | लता जौजे देवजी, चैती बेवा सावन्या सा0 देह, |
| 2 | 34/2 | 0.569 | 0.569 | | खिमिया जौजे हिराजी, चैती बेवा सावन्या सा0 देह, |
| 2 | 35/1 | 1.335 | 0.430 | | धुडल्या व0 साजू, रैसूल, तुलस , कौशुल पिता साजू सा0 देह , |
| योग | | 2.873 | 1.768 | | |

अतएव आवेदक विभाग/निकाय द्वारा ग्राम हरदौली तहसील मुलताई की उपरोक्तानुसार खसरा नम्बरों की कुल 1.768 हे0 भूमि आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व सम्बंधी कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।


आज दिनांक 14-5-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।



(शशांक मिश्र) *Shashank Mishra*
कलेक्टर,
बैतूल

क्रमांक 44 अ-82/16-17 भू-अर्जन/5940 बैतूल दिनांक 14-05-2018
प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर एवं एक स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 3- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 5- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 7- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मुलताई जि बैतूल को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करे।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत हरदौली तहसील बैतूल जिला बैतूल (M0P0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।




कलेक्टर,
बैतूल